झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

राँची, दिनांकः- 14 दिसम्बर, 2010

विषय : अनुदानों की माँग की सूची में संशोधन एवं नये विभागों को अनुदानों की माँग की सूची में शामिल करने के संबंध में ।

झारखण्ड राज्य में फिलहाल बजट निर्माण में उन 52 अनुदान मांगों का अनुसरण किया जा रहा है जो राज्य सृजन के समय बिहार राज्य में प्रचलित थी ।

2. झारखण्ड राज्य में विभागों की संरचना नये सिरे से की गई है, जिसके तहत् कुछ विभागों को मिलाकर एक नया विभाग तथा कुछ विभागों को स्वतंत्र विभाग / निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया है, अथवा उनके नाम में परिवर्त्तन किया गया है ।

3. अतः सम्यक विचारोंपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुदानों की माँग की सूची में निम्न रूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

(i) माँग सं०-1 के अन्तर्गत कषि विभाग के साथ गन्ना विकास विभाग को शामिल करते हुए माँग सं०-45 के अन्तर्गत ईख विभाग को विलोपित किया गया है ।

(ii) माँग सं०-39 के अन्तर्गत सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग के स्थान पर आपदा प्रबंधन विभाग अंकित किया गया है ।

(iii) माँग सं०-44 के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना मात्र के लिए माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा के स्थान पर मानव संसाधन विकास विभाग प्रतिस्थापित किया गया है ।

(iv) माँग सं०-45 के अन्तर्गत ईख विभाग को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर माँग सं० 43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से अलग कर सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रतिस्थापित किया गया है ।

(v) माँग सं० - 48 के अन्तर्गत आवास विभाग को विलोपित किया गया है ।

(vi) माँग सं० - 53 के अन्तर्गत मत्स्य को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

Sukhdev 13/12

(vii) माँग सं० - 54 के अन्तर्गत डेयरी को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(viii) माँग सं० - 55 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(ix) माँग सं० - 56 के अन्तर्गत पंचायती राज एवं एन० आर० ई० पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(x) माँग सं० - 57 के अन्तर्गत आवास विभाग को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(xi) माँग सं० - 58 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(xii) माँग सं० - 59 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा एवं जन शिक्षा को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

(xiii) माँग सं० - 60 के अन्तर्गत सामाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास को नई अनुदानों की माँग के रूप में शामिल किया गया है ।

4. अनुदानों की माँग की संशोधित सूची उनके नियंत्री विभागों के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है ।

5. अनुदानों की माँग के अन्तर्गत आने वाले मुख्यशीर्ष / उप मुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष /विस्तृत शीर्ष / प्राथमिक ईकाइयाँ तदनुसार कोड सहित स्वतः आवंटित हो जाएँगी ।

6. यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिवों / सचिवों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sukhdev

(सुखदेव सिंह)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।